— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर

संख्याः-34/2020 दिनांकः- 22.08.2020

“दिनांक 19.08.2020 को थाना मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कानीदरी में हुई रामनरेश की हत्या का हुआ अनावरण”

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 19.08.2020 को थाना मड़िहान के ग्राम कानीदरी में स्व0 रामनरेश पुत्र स्व0 रामसेवक हरिजन की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर, कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-145/2020 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । उक्त हत्या के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देश पर थाना प्रभारी मड़िहान, स्वॉट एवं एसओजी टीम हत्या के अनावरण के लिए प्रयासरत् हो गयी । मुखबिर की पुष्ट सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक मड़िहान, स्वॉट टीम प्रभारी एवं एसओजी प्रभारी मय पुलिस बल के अलोपी दरी के मोड़ पर समय करीब 08.10 बजे अभियुक्तगण 1- महेश पुत्र कैलाश, 2- अमरेश पुत्र कैलाश, 3- रामबाबू पुत्र मिठाईलाल समस्त निवासीगण कानीदरी दाढ़ीराम थाना मड़िहान मीरजापुर को गिरफ्तार कर लिया गया और अमरेश की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल चापड़ भी बरामद किया गया, हत्या के अनावरण में सर्विलांस सेल का भी सराहनीय योगदान रहा ।

विवरण पूछताछ व घटनाक्रम—

घटना के सम्बन्ध में पूछताछ व विवेचना से ज्ञात हुआ कि मृतक स्व0 रामनरेश झाड़-फूक/ओझागिरी का काम करते थे और उसी ओझइती के चलते अभियुक्तगण महेश और अमरेश के पिता कैलाश की मृत्यु हो गयी थी तथा महेश भी अक्सर बीमार रहता था जिससे दोनो भाई इसका जिम्मेदार रामनरेश की झाड़-फूक , टोना टोटका को ही मानते थे और अन्दर ही अन्दर मन में रंज रखते थे और इसी कारण दोनो भाई व रामबाबू ने मिलकर रामनरेश की हत्या की योजना बनाई । दिनांक 19.08.2020 को जब मृतक रामनरेश गांव के ही बाबूनन्दन उर्फ बबुन्दर के घर से खाना खाकर के लौट रहे थे तो रास्ते में ही तीनो अभियुक्त में से दो घात लगाकर बैठ गए और अमरेश कुछ आगे हो गया मृतक को आता देख महेश व रामबाबू को इशारा कर दिया जिसपर रामबाबू ने मृतक का हाथ पकड़ लिया और महेश ने चापड़ से मृतक के गर्दन पर वार करके हत्या कर दी । आलाकत्ल चापड़ को महेश ने ले जाकर अपने घर की मड़ई में रख दिया, जिसको अमरेश द्वारा बाद में धान के खेत में छुपा दिया गया । अभियुक्तगण द्वारा मृतक रामनरेश की हत्या करना व हत्या के साक्ष्यों को छिपाना स्वीकार किया जिसपर अभियुक्तगण के साथ जाकर अमरेश की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चापड़ भी बरामद किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1- महेश पुत्र कैलाश निवासी कानीदरी दाढ़ीराम थाना मड़िहान मीरजापुर ।

2- अमरेश पुत्र कैलाश निवासी कानीदरी दाढ़ीराम थाना मड़िहान मीरजापुर ।

3- रामबाबू पुत्र मिठाईलाल निवासी कानीदरी दाढ़ीराम थाना मड़िहान मीरजापुर ।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान —

दिनांक 22.08.2020 समय 08.10 बजे, स्थान- अलोपी दरी मोड़ से ।

बरामदगी का विवरण—

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चापड़ 01 अदद ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण—

थाना मड़िहान पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 राजकुमार सिंह

2-उ0नि0 शैलेश कुमार सिंह

3-हे0का0 मूलचन्द्र वर्मा

4-का0 विनय कुमार यादव

5-का0 हिमांशू मिश्रा

स्वॉट टीम-

1-उ0नि0 रामस्वरूप वर्मा प्रभारी स्वॉट टीम

2-का0 राजेश यादव स्वॉट टीम

3-का0 वीरेन्द्र सरोज स्वॉट टीम

4-का0 संदीप राय स्वॉट टीम

एसओजी टीम-
1-उ0नि0 जयदीप सिंह प्रभारी एसओजी टीम
2-का0 लालजी यादव एसओजी टीम
3-का0अजय यादव एसओजी टीम
4-का0 मनीष कुमार सिंह एसओजी टीम

नोट— घटना का अनावरण कर गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को ₹ 10000/- के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक
मीरजापुर ।